

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
वजरंगलाल ————— निरंजन त्रिपाठी

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए

18/01/26 कडोल उमरपुल 54-1 प्राथमिक अर्थ निबंधात  
 1919-20 व पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन  
 किया गया। नकल ममावरी सेवत 2064-67 खाता सं. 1 के  
 ग्राम गंगापुल में अखित नोट के अनुसार ख. नं. 313 रकबा 0.15 हे.  
 की खेतीरारी वजरंगलाल उमरपुल महांमन खंडेलाल नि. गंगापुल  
 के नाम दर्ज की गई है। यह भूमि वजरंगलाल के नाम से डिली कर  
 के नाम धाना तस्तिहोम सभचित कोरि दाता केम अथाधीगण के नाम से  
 उल्लेख नहीं मिले। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा दि. 0  
 9.6.10 के जारी अंतिम अर्थ निबंधात आदेश मूल वाद के निमित्त  
 तब उलफ्त किया गया कि वह अ. नं. 1- प्राथमिक अर्थ निबंधात  
 किया मात्र अथाधीगण के अंतिम अर्थ निबंधात मूल वाद के निमित्त  
 तब पत्र डिया जाता है। द्विवेवागृह भूमिख-नं. 313 रकबा 0.15 हे.  
 ग्राम गंगापुल की मोटा व खिर्डी की अथाधिगण बनार रखे। पत्रवली  
 फेवला भुगाए होर नमसकेस महे रखेवा तउमला मूलवा उ माथ  
 संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी:  
 गंगापुल सिटी (राज०)

